


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

-: संशोधन आदेश :-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/वरि.वे.मान/2000 दिनांक 19.06.2001 के द्वारा वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.16(5)एफडी/रूल्स/98 दिनांक 07.08.1998 के परिप्रेक्ष्य में श्री रामप्रकाश तत्कालीन व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि चांदगोटी, चूरु वर्तमान प्रधानाचार्य राउमावि बेरला, झुन्झुनू को 10 की सेवा पूर्ण करने पर वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किया गया था।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते वित्त विभाग के स्पष्टीकरण आदेश दिनांक एफ20(1)एफडी(Gr)/92 दिनांक 03.04.1993 के बिन्दू संख्या 13 के अनुसार चयनित वेतनमान एवं वेतन वृद्धि की दिनांक समान होने पर पहले प्राप्त वेतन में वेतन वृद्धि जोड़ने के पश्चात चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है। अतः कार्मिक के उक्त वरि.वे.मान आदेश दिनांक 19.06.2001 में कॉलम संख्या 05(देय तिथि को वेतन) में 8100 के स्थान 8300 संशोधित किया जाता है तथा 10 वर्षीय चयनित वेतनमान पर दिनांक 13.08.2020 को वेतनमान 7500-12000 में 8750 पर वेतन निर्धारण होगा। आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 13.08.2001 रहेगी।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।




संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/एसीपी/अंग्रेजी-संस्कृत/संशोधन/2020 दिनांक :- 07/09/2020

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) मुख्यालय
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सीकर
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर